रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072025-265045
CG-DL-E-28072025-265045

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3394] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2025/श्रावण 6, 1947
No. 3394] NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2025/SHRAVANA 6, 1947

## विद्युत मंत्रालय

## आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2025

**का.आ. 3472(अ).—** जबकि मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल), आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफ़िस डीएलएफ साइबर पार्क, ब्लॉक बी, 9 वीं मंजिल, उद्योग विहार, फेज-III, सेक्टर 20, गुरुग्राम-122008, हरियाणा, भारत पर स्थित है, ने महाराष्ट्र के सोलापुर और धाराशिव जिलों में मेसर्स एसआरआईपीएल के हाइब्रिड आरई पावर प्रोजेक्ट के लिए 400 मेगावाट (कुल स्थापित क्षमता 500 मेगावाट के मुकाबले) की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन स्कीम में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने फाइल नं. 25-17/78/2024-PG दिनांकित 18.11.2024 के अंतर्गत महाराष्ट्र के सोलापुर और धाराशिव जिलों में मेसर्स एसआरआईपीएल को हाइब्रिड आरई पावर प्रोजेक्ट के लिए 400 मेगावाट (कुल स्थापित क्षमता 500 मेगावाट के मुकाबले) की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन स्कीम में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी में) दिनांक 28.12.2024, नवभारत (हिन्दी में) दिनांक 28.12.2024, नवराष्ट्र और सकाळ (मराठी में) दिनांक 28.12.2024, तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 22.02.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ने दिनांकित 23.05.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से एक अवलोकन/ अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उसका उत्तर दिया गया है और आगे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत महाराष्ट्र के सोलापुर और धाराशिव जिलों में मेसर्स एसआरआईपीएल को हाइब्रिड आरई पावर प्रोजेक्ट के लिए 400 मेगावाट (कुल स्थापित क्षमता 500 मेगावाट के मुकाबले) की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलिग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन्स शामिल हैं:

- 400/220/33 केवी एसआरआईपीएल पीएसएस (गांव- केशेगाँव, तालुका और जिला- धाराशिव में स्थित) से आरजीईएसएल पीएसएस-1 (गांव- घंडोरा, तालुका- तुलजापुर, जिला- धाराशिव में स्थित) तक डबल सर्किट टावर पर 400 केवी सिंगल सर्किट लाइन । (लाइन की लंबाई लगभग 32 किमी)

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारेषण लाइनें महाराष्ट्र राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

| क्रमांक | गांव | तहसील | ज़िला | राज्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | केशेगांव, उमरेगांव, धारूर, बामनीवाड़ी (वाडीबामनी), बामनी, खंडाला, ताकीविकी, शिंदेवाडी, काकरंबावाड़ी, बरमगांव खुर्द, पटोदा | धाराशिव | धाराशिव | महाराष्ट्र |
| 2 | कार्ला, वानेगांव, सलगारा दिवाती, वाडागांवदेव, बोरानाडिवाडी, नंदगुल टांडा, गंगानेबस्ती, देवसिंगा, घंडूर | तुलजापुर | धाराशिव | महाराष्ट्र |
| 3 | तोरम्बा, उंडेरागांव, हिप्पार्गरवा, बसवंतवाडी | लोहारा | धाराशिव | महाराष्ट्र |

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. अगर उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के मामले में याचिका सं. 2019 के नं. 838 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में गठित टेक्निकल/एक्सपर्ट कमेटी के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा.

[फा. सं. 25-16/48/2025-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

**MINISTRY OF POWER**

**ORDER**

New Delhi, the 28th July, 2025

**S.O. 3472(E).—** Whereas M/s Serentica Renewables India Private Limited (SRIPL), the applicant with its registered office at DLF Cyber Park, Block B, 9th Floor, Udyog Vihar, Phase – III, Sector 20, Gurugram- 122008, Haryana, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity of 400 MW (against the total installed capacity of 500 MW) to M/s Serentica Renewables India Private Limited for its Hybrid RE Power Project in Solapur and Dharashiv Districts, Maharashtra".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/78/2024-PG dated 18th Nov 2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity of 400 MW (against the total installed capacity of 500 MW) to M/s Serentica Renewables India Private Limited for its Hybrid RE Power Project in Solapur and Dharashiv Districts, Maharashtra".

M/s Serentica Renewables India Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Business Standard (in English) dated 28.12.2024, Navbharat (in Hindi) dated 28.12.2024, Navarashtra & Sakal (in Marathi) dated 28.12.2024 and in Weekly Gazette of India dated 22.02.2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Serentica Renewables India Private Limited has submitted an affidavit dated 23.05.2025, declaring that one observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India and the same have been answered by M/s Serentica Renewables India Private Limited and that no further representations were received.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for "Transmission system for providing connectivity of 400 MW (against the total installed capacity of 500 MW) to M/s. Serentica Renewables India Private Limited for its Hybrid RE Power Project in Solapur and Dharashiv Districts, Maharashtra". The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- 400 kV S/c line on D/c tower from 400/220/33 kV SRIPL PSS (located at Village Keshegaon, Taluka & District Dharashiv) to RGESL PSS-1 [located at Village Ghandora, Taluka Tuljapur, District Osmanabad (Dharashiv)] (The total line length is approx. 32 km)

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Maharashtra

| Sl. No. | Villages | Tehsil | District | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keshegaon, Umregaon, Dharur, Bamniwadi (Wadibamani), Bamni, Khandala, Takiwiki, Shindewadi, Kakrambawadi, Baramgaon Khurd, Patoda | Dharashiv | Dharashiv | Maharashtra |
| 2 | Karla, Wanegaon, Salagara Divati, Wadagaondev, Boranadiwadi, Nandgul Tanda, Ganganebasti, Devasinga, Ghandur | Tuljapur | Dharashiv | Maharashtra |
| 3 | Toramba, Underagaon, Hippargarawa, Basavantawadi | Lohara | Dharashiv | Maharashtra |

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Serentica Renewables India Private Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.
ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
vi. M/s Serentica Renewables India Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/48/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.07.28 22:13:08 +05'30'